2017 का विधेयक सं.27

राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 45 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 45 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (द) और (ध) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(द) जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, छोटे परिवार के मानकों, महिला कल्याण और बाल विकास को बढ़ावा देना;

(ध) आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, गन्दी बस्ती सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं तैयार करना;"।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 55 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (3) में,-

(i) विद्यमान खण्ड (ii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (iii) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii-क) एक या अधिक, सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों में रोशनी समितियां:

परन्तु प्रत्येक नगरपालिका, पचास वार्डों तक के लिए एक समिति, इक्यावन वार्डों से पचहत्तर वार्डों तक के लिए दो समितियां और पचहत्तर से अधिक वार्डों के लिए तीन समितियां गठित कर सकेगी;"; और

(ii) विद्यमान खण्ड (iv) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (v) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iv-क) महिला और बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन व्यवस्था समिति;"।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 121 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 121 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**121. कराधान से संबंधित अपीलें.-** कर-निर्धारण या कर-निर्धारण में किसी परिवर्तन के विरुद्ध अपील, और ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें यथापूर्वोक्त कोई अपील नहीं की गयी है, धारा 130 के अधीन मांग के किसी नोटिस के विरुद्ध अपील,-

(क) नगर निगम के मामले में, आयुक्त को; और

(ख) नगर परिषद् और नगरपालिक बोर्ड के मामले में, संबंधित स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उप निदेशक को,

की जा सकेगी।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी अध्युपायों को न्यस्त करने के लिए, विधेयक के खण्ड 2 के द्वारा धारा 45 में नगरपालिकाओं के कतिपय नये मुख्य कृत्य जोड़े जाने प्रस्तावित हैं।

सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों में रोशनी तथा महिला और बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन व्यवस्था से संबंधित कृत्य संपादित करने के प्रयोजन से नयी समितियों के गठन के लिए उपबंध किये जाने प्रस्तावित हैं। तदनुसार, धारा 55 संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

विद्यमान उपबंध के अनुसार, धारा 121 के अधीन कर-निर्धारण या उसमें किसी भी परिवर्तन और मांग के नोटिस के विरुद्ध अपील कलक्टर को की जाती है। अब यह प्रस्तावित है कि ऐसी अपील, नगर निगम के मामले में, आयुक्त को और नगर परिषद् और नगरपालिक बोर्ड के मामले में, संबंधित स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उप निदेशक को होगी।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

श्रीचंद कृपलानी,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

45. मुख्य नगरपालिक कृत्य.- (1) प्रत्येक नगरपालिका का कर्तव्य होगा कि वह अपने नगरपालिक क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित मामलों के लिए युक्तियुक्त उपबंध और समुचित व्यवस्था करे, अर्थात्:-

(क) से (थ) XX XX XX XX XX

(द) जनसंख्या नियन्त्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मानकों को बढ़ावा देना;

(ध) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;

(न) से (यग) XX XX XX XX XX

(2) से (4) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

55. समितियां.- (1) से (2) XX XX XX XX XX

(3) कार्यपालक समिति के अतिरिक्त, प्रत्येक नगरपालिका दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनी निम्नलिखित समितियां भी गठित करेगी, अर्थात्:-

(i) वित्त समिति;

(ii) एक या अधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति:

परन्तु प्रत्येक नगरपालिका, पचास वार्डों तक के लिए एक समिति, इक्यावन वार्डों से पचहत्तर वार्डों

तक के लिए दो समितियां और पचहत्तर से अधिक वार्डों के लिए तीन समितियां गठित कर सकेगी;

(iii) भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति;

(iv) गन्दी बस्ती सुधार समिति;

(v) नियम और उप-विधियां समिति;

(vi) अपराधों का शमन और समझौता समिति; और

(vii) नगरपालिका के कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए वह नगर निगम के मामले में आठ से अनधिक, नगर परिषद् के मामलें में छह से अनधिक, और नगरपालिक बोर्ड के मामले में चार से अनधिक ऐसी अन्य समितियां भी गठित कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे:

परन्तु राज्य सरकार नगरपालिका के कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए, इस खण्ड में विनिर्दिष्ट समितियों की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर सकेगी।

(4) से (5) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

121. कराधान से संबंधित अपीलें.- कर-निर्धारण या कर-निर्धारण में किसी परिवर्तन के विरुद्ध अपील, और ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें यथापूर्वोक्त कोई अपील नहीं की गयी है, धारा 130 के अधीन मांग के नोटिस के विरुद्ध अपील, कलक्टर को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाये, की जा सकेगी।

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 27 of 2017

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (FOURTH AMENDMENT) BILL, 2017

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty- eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Fourth Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 45, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing clauses (r) and (s) of sub-section (1) of section 45 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(r) promoting population control, family welfare, small family norms, welfare of women and children development;

(s) preparing plans for economic development, social justice, poverty alleviation, slum improvement, public distribution system and providing food to the needy persons;".

3. Amendment of section 55, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (3) of section 55 of the principal Act,-

(i) after the existing clause (ii) and before the existing clause (iii), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(ii-a) one or more lighting public streets, places and buildings committees:

Provided that every Municipality may constitute one committee for wards upto fifty, two committees for fifty one wards to seventy five wards and three committees for wards exceeding seventy five;"; and

(ii) after the existing clause (iv) and before the existing clause (v), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(iv-a) a women and children development, poverty alleviation, public distribution system and providing food to the needy persons committee;".

4. Amendment of section 121, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 121 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**121. Appeals relating to taxation.-** An appeal against an assessment, or an alteration of an assessment and, in all cases in which no appeal has been made as aforesaid, an appeal against a notice of demand under section 130 may be made,-

(a) to the Commissioner, in case of Municipal Corporation; and

(b) to the concerned Regional Deputy Director of Local Bodies, in case of Municipal Council and Municipal Board.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to entrust welfare measures of various types, certain new core functions of the Municipalities are proposed to be added in section 45 vide clause 2 of the Bill.

For the purpose of carrying out the function relating to lighting public streets, places and buildings and women and children development, poverty alleviation, public distribution system and providing food to the needy persons, provisions for constitution of new committees are proposed to be made. Accordingly section 55 is proposed to be amended.

As per existing provision appeal under section 121 against the assessment or any alteration therein and notice of demand is made before the Collector. Now it is proposed that such appeal shall lie, in case of Municipal Corporation, to the Commissioner and in case of Municipal Council and Municipal Board, to the concerned Regional Deputy Director of Local Bodies.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence, the Bill.

श्रीचंद कृपलानी,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009
(ACT No. 18 of 2009)

XX XX XX XX XX XX

45. Core municipal functions.- (1) It shall be the duty of every Municipality to make reasonable provision and proper arrangement for the following matters within the municipal area, namely: -

(a) to (q) xx xx xx xx xx xx

(r) promoting population control, family welfare and small family norms;

(s) preparing plans for economic development and social justice;

(t) to (zc) xx xx xx xx xx xx

(2) to (4)xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

55. Committees.- (1) to (2) xx xx xx xx xx

(3) In addition to the Executive Committee, every Municipality shall also constitute the following Committees consisting of not more than ten members, namely:-

(i) a finance committee;

(ii) one or more health and sanitation committees:

Provided that every Municipality may constitute one committee for wards upto fifty, two committees for fifty one wards to seventy five wards and three committees for wards exceeding seventy five;

(iii) a buildings permission and works committee;

(iv) a slum improvement committee;

(v) a rules and bye-laws committee;

(vi) a compounding and compromising of offences committee; and

(vii) looking to the functions of a Municipality, it may also constitute such other committees, not exceeding eight in case of Municipal Corporation, not exceeding six in case of Municipal Council ,and not exceeding four in case of Municipal Board, as it may deem necessary:

Provided that the State Government may, looking to the functions of a Municipality, increase the maximum limit of committees specified in this clause.

(4) to (5) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

121. Appeals relating to taxation.- An appeal against an assessment, or any alteration of an assessment, and, in all cases in which no appeal has been made as aforesaid an appeal against a notice of demand under section 130, may be made to the Collector or such other officer as may be empowered by the State Government in this behalf.

XX XX XX XX XX XX

2017 का विधेयक सं.27

राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,

सचिव।

(श्रीचंद कृपलानी, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 27 of 2017

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (FOURTH AMENDMENT) BILL, 2017

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Secretary.

(Shrichand Kriplani, **Minister-Incharge**)